



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

संख्या: महा / सिन्धु / एफ.ई.-28 / गोवा - खण्ड-4

खानकोड 30MSH28002

दिनांक : 30-07-2014

सेवामें

श्री संदीप श्रीवास्तव, निर्देशक एवं खान मालिक,
न्यू इंडिया माइनिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड,
निर्मल, 16वा माला, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई-400021

विषय: महाराष्ट्र राज्य के सिन्धुदुर्ग जिले के वेगुंरला तालुका में स्थित आपकी माउली लोह अयस्क खान 32.83 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.05.2014 को श्री सुशील चारपे, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित नियम के लिए दिनांक 10.06.2014 को समसंख्यक उल्लंघन पत्र जारी किया गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per approved modified scheme of mining and following deviations are observed during inspection. a) It was reported in Para 8.2 that 60% of the ore is high grade containing +58% Fe and remaining in the range of +52% to -58% Fe based on exploration data available and grade of ROM production achieved in previous years. It is observed during inspection of mine that silt accumulated from collapsed overburden benches at the pit bottom during monsoon is not handled & removed, where production proposals are there and allowed to get mixed with ROM material during excavation of ROM production. The grade of mineral production reported in 2013-14 is far below than previous year grade-wise production. It is against mineral conservation and systematic mining.

- 02- इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि आपके पत्र संख्या NIMCO/1/PR-473 दिनांक 10.07.2014 में प्रस्तुत किया जवाब नियम 13(1) की अनुपालना के लिए संतोषजनक नहीं पाया गया है। वर्ष 2013-14 में किए 11 गवेषण छिद्र (Boreholes) में से बोरहोल संख्या MQC-23,24, 25 में उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क पाया गया है तथा वर्ष 2013-14 में खनन विकास एवं उत्पादन कार्य भी पिट के पूर्वी भाग में किया गया है। फिर भी वर्ष 2013-14 में किए गए कुल उत्पादन का ग्रेड -55% Fe बताया गया है। खान निरीक्षण के समय पिट के अन्दर 1मीटर मौटाई का सिल्ट (silt) देखा गया था, जिसे वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन शुरू करने से पहले हटाया नहीं गया था। निरीक्षण के समय देखा गया था कि उत्पादन के लिए कार्यशील एक्सकवेटर मशीन ही सिल्ट को हटाकर अलग कर रही थी। सिल्ट को पहले से अलग हटाकर लौह अयस्क बेन्च में खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। आपके जवाब में लिखा गया है कि सिल्ट को उत्पादन के दौरान हटा दिया गया था, जोकि वर्ष 2013-14 में दर्शाये उत्पादन के ग्रेड में अनुसार सही एवं संतोषजनक नहीं है। इस प्रकार किया जा रहा खनन कार्य खनिज संरक्षण एवं वैज्ञानिक पद्धि के विरुद्ध है।
03. उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाएँ बन्द करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है।
04. अतः आपको इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों नहीं आपके उपर उपरोक्त अपराध के लिए न्यायलय में मुकदमा दायर कर दिया जाए।
05. कृपया ध्यान रहे कि इस बाबत आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ : खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक